



पत्रांक: 644/सा0प्र0/सि0वि0वि0/2026

दिनांक- 01/08/2026

सेवा में,

1. संकायाध्यक्ष-कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. चीफ वार्डन,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. कुलानुशासक,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5. प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

विषय—Strict Implementation of UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions.

महोदय/महोदया

आपको अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) ने सर्वोच्च के सिविल अपील संख्या-887/2009 में दिनांक-08.05.2009 के निर्णय के अनुसरण में उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए यू0जी0सी0 विनियम, 2009 अधिसूचित किये। ये विनियम www.ugc.gov.in और www.antiragging.in पर उपलब्ध हैं।

सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को यू0जी0सी0 के रैगिंग विरोधी विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और रैगिंग के सभी रूपों को रोकने, प्रतिबंधित करने और समाप्त करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने की सलाह दी जाती है। संस्थानों को अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित को भी सुनिश्चित करना होगा—

1. नियमों के अनुसार निर्धारित रैगिंग विरोधी निकायों का गठन और प्रभावी कामकाज वाले स्थानों पर 24X7 टोल फ्री नंबर 1800-180-5522, रैगिंग विरोधी पोस्टर और प्रचार सामग्री का प्रदर्शन।
2. छात्रों और अभिभावकों द्वारा www.antiragging.in के माध्यम से रैगिंग विरोधी वचन-पत्र प्रस्तुत करना।
3. जागरूकता, परामर्श, मार्गदर्शन और संवेदीकरण कार्यक्रमों का संचालन करना।
4. छात्रावासों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरतना।
5. शिकायतों का शीघ्र निवारण, शिकायतकर्ताओं को संरक्षण और मामलों की समय पर रिपोर्टिंग करना।
6. प्रथमदृष्टया रैगिंग का मामला साबित होने पर तुरंत एफआईआर दर्ज कराना और अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।

सभी संस्थानों से अनुरोध है कि वे रैगिंग विरोधी उपयों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, रैगिंग के प्रति शून्य सहिष्णुता बनाए रखना सुनिश्चित करें।

कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

01/08/26

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर।
दिनांक- / /2026

पत्रांक: /सा0प्र0/सि0वि0वि0/2026

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अधिष्ठाता, शैक्षणिक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति महोदया, के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर।